रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3

PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 2008/भाद्र 8, 1930

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 2008/BHADRA 8, 1930

रक्षा मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2008

सं. 1(अ).—भारत सरकार ने 5 अक्तूबर 2006 के संकल्प संख्या 5/2/2006-ई-III (ए) के तहत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया था जिसे 7 दिसम्बर 2006 के संकल्प संख्या 5/2/2006-ई-III (ए) और 8 अगस्त, 2007 के संकल्प 5/2/2006-ई-III (ए) के तहत संशोधित किया गया था । इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की परिलब्धियों की संरचना, भत्तों और सेवा की स्थितियों से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है । सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के संबंध में इन मामलों से संबंधित आयोग की सिफारिशों पर अच्छी तरह से विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि रक्षा कार्मिकों की इन श्रेणियों से संबंधित उपर्युक्त मामलों पर आयोग की सिफारिशों को नीचे दिए आशोधनों सहित एक पैकेज के रूप में कोई ठोस फेर बदल किए बिना स्वीकार कर लिया जाएगा :-

(i) 01 जनवरी 2006 से पेंशन के साथ-साथ वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन और 01 सितम्बर 2008 से भत्तों (महंगाई भत्ता/राहत के सिवाय) की संशोधित दरों पर संशोधित भुगतान संरचना का कार्यान्वयन;

(ii). छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1.74 के बजाए 1.86 के गुणक कारक के आधार पर वेतन बैंडों में फिटमेन्ट;

(iii) वर्ष 2008-09 में बकाया राशि का 40% और 2009-10 में शेष 60% का नकद में भुगतान;

(iv) वार्षिक वेतन वृद्धि में 2.5% से 3% की दर से वृद्धि;

(v) उन लेफ्टिनेंट जनरलों को गैर-कार्यात्मक आधार पर सेना कमांडरों (80,000/-रुपए नियत) का वेतनमान दिया जाना जो सेना कमांडरों के रूप में पदोन्नति के योग्य तो हैं किन्तु शेष सेवावधि 2 वर्ष से कम रहने की वजह से उन्हें अनदेखा कर दिया गया हो;

(vi) मौजूदा मेजर जनरल/लेफ्टिनेंट जनरल के मामले में वेतन के निर्धारण के ते सैद्धान्तिक रूप से 01 जनवरी 2006 से सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) को लिया जाएगा जिसवे ास्तविक लाभ बाद में दिए जाने हैं;

(vii) मेजर जनरल/समतुल्य का ग्रेड वेतन 10,000/-रुपए और लेफ्टिनेंट जनरल/समतुल्य का 12,000/-रुपए होगा;

(viii) कर्नल/समतुल्य और ब्रिगेडियर/समतुल्य को 37,400-67,000/-रुपए के संशोधित वेतन बैंड-4 में रखा जाएगा;

(ix) रक्षा सेनाओं द्वारा की गई मांग के अनुसार मध्यम स्तर के अफसरों (कैप्टन/समतुल्य से लेकर ब्रिगेडियर/समतुल्य तक) का ग्रेड वेतन बढ़ाया जाना;

(x) परिवहन भत्ता दिए जाने के लिए कैम्पस प्रतिबंध हटाया जाना;

(xi) पदों की वरिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए ग्रेड वेतन संवर्ग के ही वर्गीकरण में किया जाएगा न कि विभिन्न संवर्गों के बीच ऐसा किया जाएगा;

(xii) सेना और वायुसेना के लिए विशेष सैन्य भत्ते की दरें नौसेना के मैरीन कमांडो भत्ते के समान की जाएंगी ।

2. रक्षा कार्मिकों की केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सेवाओं में इधर-उधर बदली किए जाने से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर अलग से विचार किया जाएगा ।

3. निम्नलिखित मामलों से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है :-

(क) जो कर्मचारी 15 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा के बाद सेवामुक्त होना चाहते हों उन्हें उदार 'पृथक्करण पैकेज' दिया जाना ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल तीन पूर्णावकाश होने चाहिए ।

(ग) महिला कर्मचारियों के लिए लचीले कार्य-घंटे और विकलांग कर्मचारियों के लिए लचीले-कार्य सप्ताह ।

4. 01 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में आरंभिक वेतन के निर्धारण का साधारण सिद्धांत, 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण, संशोधित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दर और वेतनवृद्धि की तारीख भारत सरकार की दिनांक 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 622(ई) में दिए अनुसार होंगी ।

5. सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा तद्नुसार लिए गए निर्णय इस संकल्प के साथ संलग्न अनुबंध-I विवरण में दिए गए हैं । सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के मौजूदा वेतनमान अनुबंध-II पर हैं ।

[सं. 1(30)/2008/रक्षा (वेतन/सेवाएं)]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला विवरण (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय और पैराग्राफ से संबंधित हैं)

क्रम सं	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	<u>वेतन बैंड में फिटमेंट</u> छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन बैंड में फिटमेंट निम्नलिखित तरीके से लगाने की सिफारिश की है: '74% की दर से महंगाई भत्ते (जो पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों पर देय होता यदि 1.4.2004 से 50% महंगाई भत्ते को विलयित न कर दिया गया होता) सहित पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग के मौजूदा वेतनमानों में 1.1.2006 को आहरित मूल वेतन का जोड़ कर दिया गया है तथा 10 के अगले गुणांक तक पूर्णांकित कर दिया गया है। इसे संशोधित प्रवाही (रनिंग) वेतन बैंडों में वेतन के रूप में लिया गया है ' (पैरा 2.2.21) ।	निम्नलिखित संशोधनों के तहत स्वीकृत : 1.74 के बजाय 1.86 के गुणक कारक के आधार पर वेतन बैंड में फिटमेंट (अर्थात वेतन+महंगाई वेतन+1.1.2006 को महंगाई भत्ते का 24%)।
2.	<u>सैन्य सेवा वेतन</u> रक्षा सेनाओं में ब्रिगेडियर/समतुल्य स्तर तक के सभी पदों के लिए सैन्य सेवा वेतन को बढ़ा दिया जाएगा। सैन्य सेवा वेतन एक नया कारक होने के कारण इसके लिए किसी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, वेतन और पेंशन निर्धारण के उद्देश्यों के लिए इस पर विचार किया जाएगा (पैरा 2.3.12)। वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियों) की गणना को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए वेतन के रूप में सैन्य सेवा वेतन की गणना की जाएगी। तथापि रक्षा सेना अफसरों की स्थिति का निर्धारण उनके पदों के साथ जुड़े ग्रेड वेतन के द्वारा उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार सिविलियनों के मामले में किया जाता है (पैरा संख्या 2.3.13) ।	निम्नलिखित संशोधनों के तहत स्वीकृत : मौजूदा मेजर जनरलों और लेफ्टिनेंट जनरलों के मामले में सैन्य सेवा वेतन की गणना 1.1.2006 को वेतन निर्धारण के वैकल्पिक आधार पर की जानी चाहिए किंतु वास्तविक बकाया राशि उत्तरव्यापी प्रभाव से देय होगी।

3. <u>रक्षा सेना अफसरों के वेतनमानों के बारे में सिफारिशें</u>

आयोग ने रक्षा सेनाओं में सैन्य अफसरों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिश की है:

(रुपए में)

पद	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन #
लेफ्टिनेंट/समतुल्य	15600-39100	5400	6000
कैप्टन/समतुल्य	15600-39100	5700	6000
मेजर/समतुल्य	15600-39100	6100	6000
लेफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य	15600-39100	6600	6000
कर्नल/समतुल्य	15600-39100	7600	6000
ब्रिगेडियर /समतुल्य	15600-39100	8400	6000
मेजर जनरल/समतुल्य	39200-67000	9000	शून्य *
लेफ्टिनेंट जनरल/समतुल्य	39200-67000	11000	शून्य
सहसैन्याध्यक्ष और सेना कमांडर/समतुल्य	80000 (नियत)	शून्य	शून्य
सैन्याध्यक्ष	90000 (नियत)	शून्य	शून्य

सैन्य सेवा वेतन के कारण कोई बकाया राशि देय नहीं होगी ।

* ब्रिगेडियर/समतुल्य से मेजर जनरल/समतुल्य के पद पर पदोन्नति के समय फिटमेंट के उद्देश्यों के लिए सैन्य सेवा वेतन कारक की गणना की जाएगी (पैरा सं. 2.3.14) ।

निम्नलिखित संशोधनों के तहत स्वीकृत :

(रुपए में)

रैंक/समतुल्य	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन
लेफ्टिनेंट/समतुल्य	15600-39100	5400	6000
कैप्टन/समतुल्य	15600-39100	6100	6000
मेजर/समतुल्य	15600-39100	6600	6000
लेफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य	15600-39100	7600	6000
कर्नल/समतुल्य	37400-67000	8700	6000
ब्रिगेडियर/समतुल्य	37400-67000	8900	6000
मेजर जनरल/समतुल्य	37400-67000	10000	शून्य *
लेफ्टिनेंट जनरल/समतुल्य	37400-67000	12000	शून्य
सहसैन्याध्यक्ष और सेना कमांडर/समतुल्य	80000 (नियत)	शून्य	शून्य
सैन्याध्यक्ष	90000 (नियत)	शून्य	शून्य

सैन्य सेवा वेतन के कारण कोई बकाया राशि देय नहीं होगी ।

* ब्रिगेडियर/समतुल्य से मेजर जनरल/समतुल्य के पद पर पदोन्नति के समय फिटमेंट के उद्देश्यों के लिए सैन्य सेवा वेतन कारक की गणना की जाएगी (पैरा सं. 2.3.14) ।

(i) कर्नल और ब्रिगेडियरों को संशोधित वेतन बैंड-4 में रखा जाएगा ।

(ii) वेतन बैंड-4 को 37400-67000/- रु. के रूप में आशोधित किया जाएगा ।

4.	<u>प्रधान स्टाफ अफसर/महानिदेशक (ए एफ एम एस) का वेतन</u> इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पी एस ओ की तैनाती सेना मुख्यालय में की जाती है और कोर कमांडर जो फील्ड में कार्यरत हैं के समान वेतन आहरित करने वाले पी एस ओ के वेतनमान को बढ़ाने से फील्ड और शांति समनुदेशनों के बीच सापेक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, आयोग पी एस ओ के वेतनमान को बढ़ाने की सिफारिश नहीं करता है (पैरा संख्या 2.3.15) ।	स्वीकृत।
5.	<u>महानिदेशक (ए एफ एम एस)का वेतनमान</u> आयोग महानिदेशक (ए एफ एम एस) के पद को 26,000 रुपए (नियत के पूर्व संशोधित वेतनमान के सदृश 80,000 (नियत) के शीर्ष वेतनमान में रखने की सिफारिश करता है (पैरा संख्या 2.3.16) ।	स्वीकृत।
6.	<u>अल्प कार्यकाल/गैर कार्यात्मक आधार पर पदोन्नति के कारण पदोन्नत नहीं हुए अफसरों को व्यक्तिगत आधार पर उच्चतर वेतन</u> आयोग सिफारिश करता है कि सरकार को उन रक्षा सेना अफसरों के मामले में जिनको अल्प कार्यकाल के कारण पदोन्नति नहीं मिली, गैर कार्यात्मक आधार पर उच्चतर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की मंजूरी संबंधी मांग पर विचार करना चाहिए। इस गैर कार्यात्मक उन्नयन की यदि अनुमति हो, कार्यकाल आदि में बढ़ोत्तरी जैसे अन्य लाभों के लिए गणना नहीं की जाएगी (पैरा संख्या 2.3.17) ।	निम्नलिखित संशोधनों के तहत स्वीकृत : उन लेफ्टिनेंट जनरलों को गैर - कार्यात्मक आधार पर सेना कमांडरों का नाम (80000 रुपए नियत) प्रदान करना जो सेना कमांडरों के रूप में पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं परंतु 2 वर्ष की शेष सेवा न रहने के कारण जिनकी अनदेखी हुई हो।
7.	<u>सेना चिकित्सा कोर के अफसरों के लिए शुरुआती वेतन</u> आयोग सिफारिश करता है कि सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर के लेफ्टिनेंट की शुरुआत करनी चाहिए जो लेफ्टिनेंट के पद से जुड़े 5400/-रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100/-रुपए के वेतन बैंड पी	कैप्टन के पद से जुड़े ग्रेड वेतन को 5700/-रुपए से संशोधित करके 6100/-रुपए करने के अध्यधीन स्वीकृत ।

बी-3 के न्यूनतम से 7.5% उच्चतर है। इसी तरह सेना चिकित्सा कोर में कैप्टन को प्रवेश वेतन दिया जाना चाहिए जो कैप्टन के पद से जुड़े 5700/-रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100/-रुपए के वेतन बैंड पी बी-3 के न्यूनतम से 10% उच्चतर है (पैरा संख्या 2.3.18) ।

8. सैन्य परिचर्या सेवा के अफसरों के वेतनमानों के बारे में सिफारिशें

आयोग का विचार है कि सेनाओं अथवा सैन्य परिचर्या सेवा से संबंधित अफसरों के वेतन में कोई अंतर न्यायोचित नहीं है और यह कि सैन्य अफसर संवर्गों तथा सैन्य परिचर्या सेवा संवर्ग में समान रूप से पदनामित पदों का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन समान होना चाहिए। एम एस पी की दरें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से निम्नतर रखे जाने की जरूरत होगी कि सैन्य परिचर्या सेवा के अफसर मुख्यतया योधी ड्यूटियों के लिए नहीं हैं। तदनुसार, आयोग सैन्य परिचर्या सेवा के अफसरों के लिए निम्नलिखित वेतन संरचना की सिफारिश करता है :-

(रुपए में)

पद	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन #
लेफ्टिनेंट/समतुल्य	15600-39100	5400	4200
कैप्टन/समतुल्य	15600-39100	5700	4200
मेजर/समतुल्य	15600-39100	6100	4200
लेफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य	15600-39100	6600	4200
कर्नल/समतुल्य	15600-39100	7600	4200
ब्रिगेडियर/समतुल्य	15600-39100	8400	4200
मेजर जनरल/समतुल्य	39200-67000	9000	शून्य *

सैन्य सेवा वेतन के मद्दे कोई बकाया देय नहीं होगा।

* सैन्य सेवा वेतन का अंश ब्रिगेडियर/समतुल्य से मेजर जनरल/समतुल्य में पदोन्नति के समय फिटमेंट के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा (पैरा संख्या 2.3.20) ।

निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन स्वीकृत :

(रुपए में)

पद	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन #
लेफ्टिनेंट/समतुल्य	15600-39100	5400	4200
कैप्टन/समतुल्य	15600-39100	5700	4200
मेजर/समतुल्य	15600-39100	6100	4200
लेफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य	15600-39100	6600	4200
कर्नल/समतुल्य	37400-67000	7600	4200
ब्रिगेडियर/समतुल्य	37400-67000	8400	4200
मेजर जनरल/समतुल्य	37400-67000	9000	शून्य *

सैन्य सेवा वेतन के मद्दे कोई बकाया देय नहीं होगा।

* सैन्य सेवा वेतन का अंश ब्रिगेडियर/समतुल्य से मेजर जनरल/समतुल्य में पदोन्नति के समय फिटमेंट के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

9.	<u>सैन्य परिचर्या सेवा अफसरों का वेतन निर्धारण और कैरियर प्रगति</u> आयोग सिफारिश करता है कि कर्मचारियों की सभी अन्य श्रेणियों के बराबर वेतन निर्धारण (वेतन के 2.5% के बराबर) का लाभ सैन्य परिचर्या सेवा संवर्ग के अफसरों को उनकी पदोन्नति के समय दिया जाए। सैन्य अफसरों को पहले से उपलब्ध लेफ्टिनेंट कर्नल के स्तर तक समयबद्ध पदोन्नतियों की योजना सैन्य परिचर्या सेवा के अफसरों पर लागू की जानी चाहिए (पैरा संख्या 2.3.21)।	स्वीकृत बशर्ते वेतन निर्धारण के लाभ का संशोधन वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर होगा ।
10.	सैन्य परिचर्या सेवा (स्थानीय) यह सिफारिश की जाती है कि सैन्य परिचर्या सेवा (स्थानीय) से संबंधित सभी अफसरों को 5400/-रुपए के ग्रेड वेतन और 4200/-रुपए के एम एस पी के साथ 15600-39100/-रुपए के वेतन बैंड पी बी-3 में रखा जाना चाहिए। वे सेवा के निर्धारित वर्ष पूरा करने पर अन्य की तरह दो गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयनों के लिए पात्र होंगे (पैरा संख्या 2.3.22) ।	स्वीकृत ।
11.	<u>आनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का वेतनमान</u> आयोग सिफारिश करता है कि जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर आनरेरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑनरेरी कैप्टन के रूप में अपनी पदोन्नति पर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति के मामले में 5400/-रुपए के वेतन ग्रेड और ऑनरेरी कैप्टन के पद पर नियुक्ति के मामले में 5700/-रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100/-रुपए के वेतन बैंड पी बी-3 में रखा जाएगा। साथ ही उन्हें 6000/-रुपए का सैन्य सेवा वेतन उसके समान दिया जाएगा जो सभी कमीशन प्राप्त अफसरों को देय है। अनुशंसित वेतन बैंडों में अपनाए जाने वाले प्रस्तावित वेतन निर्धारण के एक समान नियमों के अनुरूप वे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑनरेरी कैप्टन के रूप में पदोन्नति के समय एक वेतनवृद्धि के लाभ के लिए हकदार होंगे (पैरा संख्या 2.3.30)।	ऑनरेरी कैप्टन का ग्रेड वेतन 5700/-रुपए के रूप में संशोधन के अध्यधीन स्वीकृत।

अनुबंध-I भाग-ख

रक्षा सेना कार्मिकों के भत्ते, रियायतें एवं लाभ तथा सेवा शर्तें

क्रम सं.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार के निर्णय
1.	सिविलियनों और रक्षा सेना कार्मिकों के लिए समान भत्ते जहां तक सिविलियन तथा रक्षा सेना कार्मिकों के लिए समान भत्तों का संबंध है, आयोग द्वारा अध्याय 4.1 और 4.2 में महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, परिवहन भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, सवारी भत्ता, प्रैक्टिस-बंदी भत्ते के बारे में की गई सिफारिशें रक्षा सेना कार्मिकों पर भी पूरी तरह लागू होंगी । (पैरा 4.10.5) उपर्युक्त भत्तों के अतिरिक्त रक्षा सेना कार्मिकों को निम्नलिखित प्रतिपूरक भत्ते सिविल कर्मचारियों पर लागू निबंधन और शर्तों पर अनुमत्य होंगे । तथापि, यदि ऐसे क्षेत्रों में फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य होंगी तो रक्षा सेना कार्मिकों के पास दोनों में से उच्चतर भत्ता लेने का विकल्प होगा । विशेष प्रतिपूर्ति (पर्वतीय क्षेत्र) भत्ता विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता द्वीपसमूह विशेष ड्यूटी भत्ता परियोजना भत्ता दुर्गम क्षेत्र भत्ता विशेष प्रतिपूर्ति (खराब मौसम) भत्ता (पैरा 4.10.6) संगत अध्याय में सिविलियन कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त भत्तों के संबंध में सिफारिश की गई संशोधित दरें रक्षा सेना कार्मिकों के मामले में भी लागू होंगी । रक्षा सेनाओं द्वारा यह बात सामने लायी गई है कि कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां पर केंद्रीय सरकार की कोई संस्थापनाएं नहीं हैं, ये भत्ते नहीं दिए जाते हैं । यह सुझाव दिया गया है कि क्षेत्रों को दूर-दराज का क्षेत्र घोषित करने वाला मंत्रालय ऐसी अवस्थितियों पर भी विचार करे, ताकि वहां पर यथा-लागू प्रतिपूर्ति भत्ते दिए जाने की पात्रता प्रदान की जा सके । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में विपदा और आपदाओं के दौरान रक्षा बलों को राहत और बचाव कार्य करने पड़ते हैं, स्वतः ही दुर्गम क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और दुर्गम क्षेत्र भत्ता मंजूर किया जाना चाहिए । (पैरा 4.10.7)	निम्नलिखित आशोधन के साथ स्वीकृत :- निम्नतम स्तर पर परिवहन भत्ते में वृद्धि: 600/- रुपए (ए-1ए श्रेणी के शहरों में 400/- रुपए) और 400/-रुपए (अन्य शहरों के लिए 300/- रुपए) ।

	आयोग प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को दुर्गम क्षेत्र घोषित करने की मांग स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि उससे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा । आयोग यह भी सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे कि वे ऐसे क्षेत्रों की कठिनाइयों पर भी विचार करें जहां केवल रक्षा बल संस्थापनाएं स्थापित हैं और देखें कि क्या वे क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किए जाने के लिए पात्र हैं । (पैरा संख्या 4.10.8)	
2.	<u>प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता</u> इसलिए रक्षा सेना कार्मिकों को यह विकल्प दिया जाए कि या तो वे (क) सेवा रियायतों सहित 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करें या (ख) सेवा रियायतों को छोड़ दें और 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता ले लें । तथापि, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और असम राइफल्स में तैनात अफसरों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि सेना अधिकारियों के लिए ये तैनातियां नियमित तैनातियों से अलग नहीं हैं । जहां तक पदों पर रैंक की बजाय समकक्ष वेतन पर प्रतिनियुक्ति की मांग का प्रश्न है, यह समस्या आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतन ढांचे में स्वत: ही हल हो जाएगी क्योंकि सिविलियनों और रक्षा कार्मिकों के समकक्ष रैंकों के लिए समान ग्रेड वेतन की सिफारिश की गई है जिसके आधार पर भविष्य में सिविल संगठनों में प्रतिनियुक्तियों को शासित किया जाएगा । (पैरा 4.10.10)	स्वीकृत ।
3.	<u>मकान किराया भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि रक्षा अधिकारियों को मौजूदा शर्तों पर सिविलियनों को देय दरों पर ही मकान किराया मंजूर किया जाए । मकान किराया भत्ते की गणना के लिए, मौजूदा मूल वेतन जमा ग्रेड वेतन तथा सैन्य सेवा, वेतन को हिसाब में लिया जाए । रक्षा मंत्रालय बाजार की स्थिति के मद्देनजर किराए की अधिकतम सीमाएं संशोधित करने हेतु कार्रवाई कर सकता है । (पैरा 4.10.15)	स्वीकृत ।
4.	<u>भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता</u> मौजूदा स्थिति समुचित प्रतीत होती है तथा आयोग का यह मत है कि इसमें आगे किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 4.10.16)	स्वीकृत ।

5.	<u>लापता/अशक्त/युद्ध में मारे गए कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें</u> आयोग निम्नलिखित संशोधित दरों की सिफारिश करता है :- शिक्षण शुल्क — पूर्ण प्रतिपूर्ति होस्टल प्रभार — पूर्ण प्रतिपूर्ति पुस्तकों/लेखन सामग्री की कीमत — 1000 रुपए प्रतिवर्ष वर्दी की कीमत — 1700 रुपए (पहले वर्ष) 700 रुपए प्रति वर्ष (बाद के वर्ष) वस्त्र — 500 रुपए (प्रतिवर्ष) 300 रुपए प्रतिवर्ष (बाद के वर्ष) (पैरा 4.10.18)	स्वीकृत ।
6.	<u>संस्थागत भत्ते</u> इस तथ्य के मद्देनजर कि अनुदेशक के रूप में तैनातियां सामान्यतः प्रतिष्ठापूर्ण शांतिकालीन तैनातियां होती हैं, तथा भत्तों में भारी वृद्धि से फील्ड क्षेत्रों में मिलने वाले भत्तों से तुलना में सापेक्षता प्रभावित होती है । अयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते की दर दुगनी कर दी जाए । (पैरा 4.10.20)	स्वीकृत ।
7.	<u>आर्मी मेडिकल कोर (ए एम सी) आर्मी डेन्टल कोर (ए डी सी) और रिमाउन्ट एवं वेटरनरी कोर (आर वी सी) अफसर</u> <u>विशेषज्ञ भत्ता</u> भत्तों पर सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डाक्टरों को भी नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाता है आयोग ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा भत्ते की दर को दोगुना कर दिया जाए । (पैरा सं. 4.10.22) <u>स्नोतकोत्तर भत्ता</u> आयोग ने सिफारिश की है कि इस भत्ते की दर को दोगुना कर दिया जाए (पैरा संख्या 4.10.22) ।	स्वीकृत (संशोधित वेतन बैंडों में मेडिकल डाक्टरों का वेतन निर्धारित करने के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते एनपीए पर 1 जनवरी 2006 को महगाई भत्ते (डी ए) की संगणना)

8.	भाषा पुरस्कार/भत्ते यह देखते हुए कि ड्यूटियां कष्टसाध्य किस्म की होती हैं तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि यह भत्ता प्राप्तकर्ता के प्रतिवर्ष प्रवीणता परीक्षा पास करने के अध्यधीन है, इस मामले में वृद्धि की उच्च दर औचित्यपूर्ण मानी गई है । तदनुरूप, इन पुरस्कारों और भत्तों में तीन गुना वृद्धि की जाए । (पैरा 4.10.23)	स्वीकृत ।
9.	उड़ान भत्ता, पनडुब्बी भत्ता तथा सियाचिन भत्ता अन्य भत्तों के अनुसार ही इन भत्तों की दर दुगना करने की सिफारिश की जाती है । यह 'मारकोस' तथा चैरियट भत्ते में लागू होगा जो पनडुब्बी कमांडो को पनडुब्बी भत्ते के बराबर की दरों पर दिया जाता है । जहां तक रक्षा सेनाओं द्वारा की गई अन्य मांगों का प्रश्न है, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है :- (क) चीफ पेटी अफसर को वायुसेना के जूनियर वारंट अफसर की समान दरों पर ही उड़ान भत्ता दिया जाए । (ख) सेना विमानन पायलटों को नौसेना तथा भारतीय वायुसेना की पात्रता के विस्तार से यह उन्हें उनके विमानन संवर्ग में बने रहने तक उड़ान भत्ता मंजूर किए जाने के लिए पात्र बनाया जाए । (ग) जहां तक जोखिम संबंधी भत्तों को आयकर से छूट दिए जाने का प्रश्न है, आयोग का यह मत है कि सरकार सभी संगत पहलुओं पर विचार करके इस संबंध में विचार कर सकती है । (पैरा संख्या 4.10.26)	स्वीकृत ।
10.	परीक्षण पायलट भत्ता आयोग यह सिफारिश करता है कि परीक्षण पायलट भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए और इसे एरोबैटिक दरों के वायुकर्मियों को भी दिया जाना चाहिए । (पैरा 4.10.27)	स्वीकृत ।
11.	पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता आयोग यह सिफारिश करता है कि मौजूदा दरों को बढ़ाकर इन्हें अधिकारियों के लिए 90 रुपए प्रतिदिन	स्वीकृत ।

	तथा अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.28)	
12.	<u>गोताखोरी भत्ता, डिप मनी तथा परिचर भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि गोताखोरी भत्ते तथा डिप मनी की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । सेना और वायुसेना कर्मियों के मामले में गोताखोरी की आवश्यकता यदा-कदा ही पड़ती है और उन्हें गोताखोरी के सीमित अवसरों के लिए निरंतर प्रतिभूति की जानी अनुचित होगी । तथापि, उन्हें जब भी गोताखोरी की आवश्यकता हो, डिप मनी और गोताखोरी भत्ता आनुपातिक आधार पर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.29)	स्वीकृत ।
13.	<u>विशेष बल भत्ता</u> सेना और वायुसेना के विशेष बलों को सिपाही, नायक और समकक्ष को 1000 रुपए प्रतिमाह तथा ले.कर्नल और उनसे ऊपर के अधिकारियों को 2600 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से एक भत्ता दिया जाता है । रक्षा बलों ने मांग की है कि उन्हें यह भत्ता मारकोस तथा पैरिटियर्स, जोकि नौसेना के विशेष बल हैं, तथा जिन्हें पनडुब्बी भत्ते की समान दरों पर मारकोस भत्ता दिया जाता है, को स्वीकार्य दरों पर दिया जाए । उन्होंने यह मांग इस आधार पर की है कि सेना और वायुसेना के विशेष बल भी चयन और प्रशिक्षण की दृष्टि से तुलनीय मानकों वाले विशिष्ट बल हैं । आयोग ने यह देखा है कि इस समय विशेष बल भत्ता, फील्ड क्षेत्र भत्ता तथा शांति क्षेत्र में प्रतिविद्रोहिता भत्ता एक-समान हैं । विशेष बल भत्ते में अधिक वृद्धि प्रदान करके इस एकरूपता में फेर-बदल करने से इन भत्तों में इस तरह की वृद्धि करने की और मांगें उठेंगी । इसलिये आयोग यह सिफारिश करता है कि विशेष बल भत्ते की दरें दुगनी कर दी जाएं । (पैरा संख्या 4.10.30)	सेना और वायुसेना कमांडों को विशेष बल भत्ता उसी दर पर दिया जाएगा, जिस दर पर नौसेना के समुद्री कमांडो (मारकोस) को दिया जाता है ।
14.	<u>पैरा जम्प अनुदेशक भत्ता तथा फ्री-फाल जम्प अनुदेशक भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि यह भत्ता मंजूर किए जाने की मौजूदा शर्तों में कोई परिवर्तन किए बिना इसकी मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.31)	स्वीकृत ।
15.	<u>पैरा भत्ता तथा पैरा-रिजर्व भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि इन भत्तों की दरें दुगनी कर दी जाएं किंतु आयोग को इन भत्तों को नौसेना और वायुसेना कार्मिकों को दिए जाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता क्योंकि ये समान रूप से	स्वीकृत ।

	नियोजित नहीं है । (पैरा संख्या 4.10.33)	
16.	<u>अति क्रियाशील फील्ड क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिविद्रोहिता संक्रिया भत्ता</u> आयोग ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि इन भत्तों के मौजूदा श्रेणीकरण से शांति क्षेत्रों में प्रतिविद्रोहिता संक्रियात्मक भत्ते और फील्ड क्षेत्र भत्ते की दरों में एक संतुलन स्थापित हुआ है । यह संतुलन काफी युक्तिसंगत तथा सुविचारित प्रतीत होता है । इन परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग इस श्रेणीकरण में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं करता है । तथापि, फील्ड क्षेत्र भत्ते और प्रतिविद्रोहिता भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । जहां तक नौसेना कार्मिकों को प्रतिविद्रोहिता भत्ता दिए जाने का संबंध है, सरकार के विशिष्ट आदेशों के आधार पर यह भत्ता मंजूर किए जाने का सुझाव स्वीकार कर लिया जाए, किंतु इसकी पात्रता की शर्तें समुद्र में जाने/समुद्री ड्यूटी भत्ते की मंजूरी के समान ही हों । (पैरा संख्या 4.10.36)	स्वीकृत ।
17.	<u>उच्च तुंगता भत्ता</u> भत्तों के बारे में अपने सामान्य दृष्टिकोण के मद्देनजर आयोग उच्च तुंगता भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना करने की सिफारिश करता है । जहां तक कुछ क्षेत्रों में उच्च तुंगता भत्ते को सियाचिन भत्ते की दरों के 80 प्रतिशत तक कर दिए जाने की मांग का संबंध है, आयोग ने यह पाया है कि सरकार ने यह भत्ता पहले ही जुलाई, 2007 से मंजूर कर दिया है । इस भत्ते के लिए सिफारिश की गई दरों को ध्यान में रखते हुए आयोग यह सिफारिश करता है कि भविष्य में इन क्षेत्रों में संशोधित सियाचिन भत्ते के 80 प्रतिशत की मंजूरी दी जाए । (पैरा संख्या 4.10.39)	स्वीकृत ।
18.	<u>समुद्र में जाने /समुद्री ड्यूटी भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि फील्ड क्षेत्र भत्ते के साथ सापेक्षता को बनाए रखते हुए समुद्र में जाने/समुद्री ड्यूटी भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । आयोग ने यह भी नोट किया है कि समुद्र में जाने/समुद्री ड्यूटी भत्ते का मूल परिवार से अलगाव है । इस तरह आयोग का यह मत है कि प्रतिदिन 12 घंटे की शर्त समुचित है तथा इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है । (पैरा 4.10.40)	स्वीकृत ।
19.	<u>हार्डलाइंग मनी</u> आयोग अपने सामान्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश करता है कि मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.42)	स्वीकृत ।

20.	<u>सरकारी आवभगत अनुदान</u> आयोग ने सिफारिश की है कि किसी नवीन श्रेणी का विस्तार किए बिना इस भत्ते की दरें दोगुनी कर दी जाएं (4.10.43) ।	स्वीकृत ।
21.	<u>तकनीकी भत्ता और व्यावसायिक भत्ता</u> भत्तों के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप आयोग ने यह सिफारिश की है कि इस भत्ते की मौजूदा दरें दोगुनी कर दी जाएं । तथापि आयोग इस भत्ते का विस्तार उन अफसरों के लिए किए जाने की सिफारिश नहीं कर सका जिन्होंने इस तरह के पाठ्यक्रम किए हों क्योंकि इस तरह की योग्यता लेने से उनके मामले में ड्यूटियों के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है । रक्षा सेनाओं ने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जो गैर तकनीकी अफसर उच्चतर योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और उच्चतर स्तरों की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें प्राप्त की गई योग्यताओं की संवेदनशीलता और महत्व पर आधारित तकनीकी अफसरों पर लागू होने वाले स्तर I और II पर व्यावसायिक भत्ते का अनुदान करके उनकी योग्यता की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए । आयोग इसके लिए पर्याप्त औचित्य नहीं पा सका (पैरा संख्या 4.10.44) ।	स्वीकृत ।
22.	<u>अर्हता अनुदान</u> आयोग ने सिफारिश की है कि अर्हता अनुदान की मौजूदा दरों को दोगुना कर दिया जाए किन्तु उसने इसका विस्तार मेडिकल अफसरों के लिए करने की सिफारिश नहीं की क्योंकि उन्हें उच्चतर अर्हता प्राप्त कर लेने पर विशेषज्ञ भत्ता अथवा स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाता है (पैरा संख्या 4.10.50) ।	स्वीकृत ।
23.	<u>अर्हता भत्ता</u> आयोग ने इस भत्ते की दरें दुगनी करने की सिफारिश की है (पैरा सं. 4.10.52) ।	स्वीकृत ।
24.	<u>जज एडवोकेट जनरल विभाग परीक्षा पुरस्कार</u> आयोग ने सिफारिश की है कि इस पुरस्कार की दर को दोगुना कर दिया जाए (पैरा संख्या 4.10.54) ।	स्वीकृत ।

25.	वर्दी संबंधी भत्ते (अफसर) आयोग ने निम्नलिखित संशोधित दरों पर इस भत्ते की सिफारिश की है :- यह सिफारिश भी की जाती है कि संशोधित वेतन बैंडों में हर बार 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता हो जाने पर अफसरों के वर्दी भत्ते में 25 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी जाएगी (पैरा संख्या 4.10.57 और 4.10.58) ।	स्वीकृत ।
26.	अंत्येष्टि भत्ता तथापि, आयोग ने यह सिफारिश की है कि अंत्येष्टि भत्ता बढ़ाकर 4000/-रुपए कर दिया जाए (पैरा सं. 4.10.68) ।	स्वीकृत ।
27.	जलराशिक सर्वेक्षण भत्ता आयोग यह सिफारिश करता है कि मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए (पैरा संख्या 4.10.73) ।	स्वीकृत ।
28.	बिजली के लिए निर्बाध उच्चतम सीना मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं । आयोग मौजूदा स्थिति में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं करता है ।	स्वीकृत ।

भत्ता	सेना	दर (रुपए)
एक बार किट	सेना, भारतीय वायुसेना	14000 (आरंभिक अनुदान) 3000 (प्रत्येक 3 वर्ष में)
एक बार किट	नौसेना	16000 (आरंभिक अनुदान) 5000 (प्रत्येक 3 वर्ष में)
एक बार किट	एमएनएस अफसर	7000 (आरंभिक अनुदान) 1500 (प्रत्येक 3 वर्ष में)
विशिष्ट वर्दी किट	एमएनएस अफसर	400
किट	तीनों सेनाएं	400 प्रतिमाह
किट अनुरक्षण	एमएनएस अफसर	400 प्रतिमाह

	(पैरा संख्या 4.10.78)	
29.	<u>यात्रा संबंधी पात्रताएं</u> निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :- (i) दिवंगत रक्षा सेना कार्मिकों के आश्रितों के लिए परंपरागत सामाजिक रीति-रिवाजों को सम्पन्न करने के लिए आने-जाने की यात्रा करने हेतु हवाई यात्रा सहित यात्रा के तीव्र साधनों से यात्रा करना प्राधिकृत किया जाएगा । (ii) अस्पताल में भर्ती के लिए यात्रा की प्राधिकृत श्रेणी वही होगी जो सरकारी दौरों के लिए अधिकृत है । (iii) सैन्य अस्पताल में सेवारत कार्मिक को मिलने के लिए सरकारी खर्च पर युद्ध हताहतों के दो संबंधियों को वाहन की स्वीकृति इस समय केवल ले.कर्नल और समकक्ष अधिकारी तक ही सीमित रखी गई है । इस नियम के प्रावधान सभी रैंक के रक्षा कार्मिकों को दिए जाने चाहिए । (पैरा सं. 4.10.86)	स्वीकृत ।
30.	<u>हार्डशिप भत्ता, एसेसर्स भत्ता, यूएची कमींदल भत्ता</u> इन भत्तों के बारे में दिए गए औचित्य की जांच के बाद आयोग को इन्हें शुरु करने का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं दिखाई दिया । (पैरा संख्या 4.10.87)	स्वीकृत ।
31.	<u>छुट्टी यात्रा रियायत</u> जहां बच्चे होस्टल में रह रहे हों, उन्हें एलटीसी पर माता-पिता से मिलने की स्वीकृति के अलावा इस प्रावधान में आयोग द्वारा किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जाती । जहां तक रेलवे वारंट/डी फार्म विकल्प का प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय इस व्यवस्था की प्रशासनिक सम्भाव्यता की जांच कर सकता है । आयोग फार्म डी की पात्रता में किसी बढ़ोत्तरी या परिवर्तन की सिफारिश नहीं करता । (पैरा सं. 4.10.90)	स्वीकृत ।

32.	कार्यवाहक पदोन्नति यह सिफारिश की जाती है कि कार्यवाहक रैंक के लिए भुगतान से पहले कुछ निर्धारित लगातार दिनों के लिए उच्चतर पद धारण करने की शर्त हटा दी जानी चाहिए । (पैरा संख्या 4.10.94)	स्वीकृत ।
33.	प्रशिक्षण अवधि के दौरान सैन्य अफसरों की शर्तें आयोग प्रशिक्षण अकादमियों से संबंधित मौजूदा उपबंधों में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं करता है (पैरा संख्या 4.10.97) ।	स्वीकृत ।
34.	छुट्टी की हकदारी यह सिफारिश की जाती है कि रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए छुट्टी नकदीकरण की यात्रा को सेवा के वर्षों की संख्या से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और सभी रक्षा बलों के कार्मिकों को 300 दिनों तक की छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी । एलटीसी के दौरान छुट्टी के नकदीकरण और नकदीकरण की अधिकतम सीमा के संबंध में सिविलियन कर्मचारियों के मामले में दी गई छूट रक्षा बलों के कार्मिकों पर भी लागू होगी । फरलो (अनधिकृत छुट्टी) के लिए अर्द्ध-वेतन छुट्टी पर लागू जमा, परिवर्तन एवं नकदीकरण के प्रावधान की सुविधा देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अधिकारियों एवं अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों द्वारा नकदीकरण के लिए स्वीकृत छुट्टी के रूप में फर्क पड़ जाएगा । अतः आयोग अनधिकृत छुट्टी के नकदीकरण की सिफारिश नहीं करता । (पैरा 4.10.102)	स्वीकृत ।
35.	अस्वस्थता अवकाश अफसरों को छुट्टी की अवधि का ध्यान किए बिना अस्वस्थता अवकाश की सम्पूर्ण अवधि को दौरान पूरा वेतन मंजूर करने का प्रस्ताव किया गया है -बशर्ते उनकी बीमारी/अस्पताल में भर्ती सैन्य परिस्थितियों के कारण हुई हो /बढ़ी हो । आयोग सिफारिश करता है कि अस्पताल में भर्ती की सम्पूर्ण अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्तों मंजूर किए जाने चाहिए (पैरा संख्या 4.10.103)	स्वीकृत ।

3270 GI/09—3

	<u>प्रसूति अवकाश</u> रक्षा सेनाओं के महिला अधिकारियों के मामले में भी एक समान प्रावधान अपनाए जाने चाहिए और उन्हें प्रत्येक प्रसूति के लिए 180 दिनों के प्रसूति अवकाश की मंजूरी दी जानी चाहिए, यह सुविधा अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है (पैरा संख्या 4.10.103)	
36.	<u>भवन निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम</u> सिविलियन कर्मचारियों के लिए की गई इन सिफारिशों के अनुसरण में आयोग यह सिफारिश करता है कि रक्षा बल कार्मिकों को भी सिविलियन कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमा तक ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह ऋण लेने हेतु ब्याज दरों में सब्सिडी प्रदान की जाए । (पैरा संख्या 4.10.104)	स्वीकृत ।
37.	<u>प्रादेशिक सेना कार्मिकों की छुट्टी का नकदीकरण</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रादेशिक सेना कार्मिकों और नियमित सेना कार्मिकों के बीच छुट्टी के नकदीकरण संबंधी प्रावधानों में समानता रखी जाए । (पैरा संख्या 4.10.107)	स्वीकृत ।
38.	<u>भत्तों का भविष्य में संशोधन</u> जहां तक भत्तों के भविष्य में संशोधन का प्रश्न है, सिविलियन और रक्षा बलों के सम्मिलित भत्तों के संबंध में अन्यत्र विनिर्दिष्ट रूप में संशोधन किए जाएं । केवल रक्षा बलों के लिए विनिर्दिष्ट भत्तों के मामले में इन भत्तों की दरें प्रत्येक बार स्वत: ही 25 प्रतिशत बढ़ा दी जाएं जब संशोधित वेतन बैंड पर देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाता है । (पैरा संख्या 4.10.108)	स्वीकृत ।
39.	<u>भत्तों पर सामान्य सिफारिश</u> अत: आयोग यह सिफारिश करता है कि रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पीआरआईएस का हिस्सा बनने वाले भत्तों को शामिल करते हुए एक पीआरआई स्कीम तैयार कर सकते हैं । (पैरा संख्या 4.10.109)	स्वीकृत ।

अनुबंध-II

सैन्य अफसरों (सैन्य परिचर्या सेवा को छोड़कर) और नौसेना तथा वायुसेना में उनके समतुल्य अफसरों के मौजूदा वेतनमान

(रुपए में)

पद	वेतनमान	रैंक वेतन
लेफ्टिनेंट/समतुल्य	8250-300-10050	-
कैप्टन/समतुल्य	9600-300-11400	400
मेजर/समतुल्य	11600-325-14850	1200
लेफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य	13500-400-17100	1600
कर्नल/समतुल्य	15100-450-17350	2000
ब्रिगेडियर/समतुल्य	16700-450-18050	2400
मेजर जनरल/समतुल्य	18400-500-22400	-
लेफ्टिनेंट जनरल/समतुल्य	22400-525-24500	-
सह अध्यक्ष और सैन्य कमांडर/समतुल्य	26000 (नियत)	-
सेनाध्यक्ष	30000 (नियत)	-

महानिदेशक (सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा) (डीजी एएफएमएस) का मौजूदा वेतनमान

(रुपए में)

पद	वेतनमान
महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा	24050-650-26000

सैन्य परिचर्या सेवा अधिकारियों के मौजूदा वेतनमान

(रुपए में)

पद	वेतनमान
लेफ्टिनेंट/समतुल्य	8000-300-9500
कैप्टन/समतुल्य	9400-300-12100
मेजर/समतुल्य	11200-300-14800
लेफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य	12800-300-15200
कर्नल/समतुल्य	13400-300-15500
ब्रिगेडियर/समतुल्य	14700-300-16200
मेजर जनरल/समतुल्य	16400-450-20000

ANNEXURE-II

EXISTING PAY SCALES OF ARMY OFFICERS (OTHER THAN MNS) AND THEIR EQUIVALENTS IN NAVY AND AIRFORCE

(in Rs.)

Post	Pay Scale	Rank Pay
Lieutenant/ equ.	8250-300-10050	-
Captain/ equ.	9600-300-11400	400
Major/ equ.	11600-325-14850	1200
Lt. Colonel/ equ.	13500-400-17100	1600
Colonel/ equ.	15100-450-17350	2000
Brigadier/ equ.	16700-450-18050	2400
Major General/ equ.	18400-500-22400	-
Lt. General/ equ.	22400-525-24500	-
Vice Chiefs and Army Commander/equ.	26000 (Fixed)	-
Service Chiefs	30000 (Fixed)	-

EXISTING PAY SCALE OF DIRECTOR GENERAL (ARMED FORCE MEDICAL SERVICE) (DGAFMS)

(in Rs.)

Post	Pay Scale
DGAFMS	24050-650-26000

EXISTING PAY SCALES OF MNS OFFICERS

(in Rs.)

Post	Pay Scale
Lieutenant/ equ.	8000-300-9500
Captain/ equ.	9400-300-12100
Major/ equ.	11200-300-14800
Lt. Colonel/ equ.	12800-300-15200
Colonel/ equ.	13400-300-15500
Brigadier/ equ.	14700-300-16200
Major General/ equ.	16400-450-20000

संकल्प

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2008

सं. 2(अ).—भारत सरकार ने 5 अक्तूबर 2006 के संकल्प संख्या 5/2/2006-ई-III (ए) के तहत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया था जिसे 7 दिसम्बर 2006 के संकल्प संख्या 5/2/2006-ई-III (ए) और 8 अगस्त, 2007 के संकल्प 5/2/2006-ई-III (ए) के तहत संशोधित किया गया था । इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की परिलब्धियों की संरचना, भत्तों और सेवा की स्थितियों से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है । सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के संबंध में इन मामलों से संबंधित आयोग की सिफारिशों पर अच्छी तरह से विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि रक्षा कार्मिकों की इन श्रेणियों से संबंधित उपर्युक्त मामलों पर

आयोग की सिफारिशों को नीचे दिए आशोधनों सहित एक पैकेज के रूप मे कोई ठोस फेर बदल किए बिना स्वीकार कर लिया जाएगा :-

(i) 01 जनवरी 2006 से पेंशन के साथ-साथ वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन और 01 सितम्बर 2008 से भत्तों (महंगाई भत्ता/राहत के सिवाय) की संशोधित दरों पर संशोधित भुगतान संरचना का कार्यान्वयन;

(ii) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1.74 के बजाए 1.86 के गुणक कारक के आधार पर वेतन बैंडों में फिटमेन्ट;

(iii) वर्ष 2008-09 में बकाया राशि का 40% और 2009-10 में शेष 60% का चकद में भुगतान;

(iv) वार्षिक वेतन वृद्धि में 2.5% से 3% की दर से वृद्धि;

(v) परिवहन भत्ता दिए जाने के लिए कैम्पस प्रतिबंध हटाया जाना;

(vi) न्यूनतम स्तर पर 600 रुपए (ए-1/ए श्रेणी नगरों में 400 रुपए से) और 400 रुपए (अन्य नगरों में 300 रुपए से) परिवहन भत्ते में वृद्धि ;

(vii) संवर्ग के पदानुक्रम के अंतर्गत ही पदों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ग्रेड वेतन न कि विभिन्न संवर्गों के बीच ऐसा किया जाएगा;

(viii) अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के सैन्य सेवा वेतन में 1000 रुपए से 2000 रुपए प्रतिमाह तक की वृद्धि;

(ix) अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों को 8,16 और 24 वर्षों की सेवा के बाद 3 सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति उन्नयन प्रदान करना;

(x) सेना और वायुसेना के लिए विशेष सैन्य भत्ते की दरें नौसेना के गैरीन कमांडो भत्ते के समान की जाएंगी ।

2. रक्षा कार्मिकों की केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में इधर-उधर बदली किए जाने से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अलग से विचार किया जाएगा ।

3. निम्नलिखित मामलों से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है :-

(क) जो कर्मचारी 15 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा के बाद सेवामुक्त होना चाहते हों उन्हें उदार 'पृथक्करण पैकेज' दिया जाना ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल तीन पूर्णावकाश होने चाहिए ।

(ग) महिला कर्मचारियों के लिए लचीले कार्य-घंटे और विकलांग कर्मचारियों के लिए लचीले कार्य-सप्ताह ।

4. 01 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में आरंभिक वेतन के निर्धारण का साधारण सिद्धांत, 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण, संशोधित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दर और वेतनवृद्धि की तारीख भारत सरकार की दिनांक 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 622(ई) में दिए अनुसार होंगी ।

5. सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा तदनुसार लिए गए निर्णय इस संकल्प के साथ संलग्न अनुबंध-I विवरण में दिए गए हैं । सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के मौजूदा वेतनमान अनुबंध-II पर हैं ।

[सं. 1(31)/2008/रक्षा (वेतन/सेवाएं)]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

सशस्त्र सेना के अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णय संबंधी विवरण-पत्र (कोष्ठकों में संदर्भित आंकड़े वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय और पैराग्राफ से संबंधित हैं)

क्र. सं.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	वेतन बैंड में फिटमेंट : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने वेतन बैंड में फिटमेंट निम्नलिखित तरीके से लगाने की सिफारिश की है :- '74% की दर से महंगाई भत्ते जो पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों पर देय होता यदि 1.4.2004 से 50% महंगाई भत्ते को वित्तियत न कर दिया गया होता सहित पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के मौजूदा वेतनमानों में 1.1.2006 को आहरित मूल वेतन का जोड़ कर दिया गया है तथा 10 के अगले गुणांक तक पूर्णांकित कर दिया गया है। इसे संशोधित प्रवाही रनिंग वेतन बैंड में वेतन के रूप में लिया गया है ।' (पैरा 2.2.21) कर्मचारी पक्ष, रक्षा सेनाओं, रेलवे, अंतरिक्ष तथा डी.ई.ए. सहित वैज्ञानिक संगठनों ने संशोधित वेतन बैंडों में वेतन निर्धारण के लिए 1.86 के गुणांक कारक की मांग की है क्योंकि कर्मचारी इसे पहले ही 1.1.2006 से आहरित कर रहे हैं ।	केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 1.74 के गुणांक कारक की बजाय 1.86 गुणांक कारक को वेतन बैंडों में फिटमेंट के लिए स्वीकार किया गया है। इससे वेतन बैंड-2 में प्रारंभिक वेतन 8700/-रु0 की बजाय 9300/- रु0 हो जाएगा।
2.	वेतनवृद्धि की दर सभी रनिंग वेतन बैंडों में वार्षिक वेतनवृद्धि की दर कुल वेतन तथा ग्रेड वेतन का 2.5% है (रनिंग वेतन बैंड में वेतन निर्धारण का चरण) । [पैरा सं. 2.2.19(viii)]	सभी कर्मचारियों के लिए वेतनवृद्धि की दर 2.5% की बजाय 3% होगी ।
3.	अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए सैन्य सेवा आयोग ने सिफारिश की है कि अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के सभी कार्मिकों को 1000/-रु0 प्रतिमाह का सैन्य सेवा वेतन दिया जाए (पैरा सं. 2.3.26) ।	अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के लिए सैन्य सेवा वेतन वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 1000/-रुपए से बढ़ाकर 2000/-रु0 कर दिया गया है किंतु इसमें पिछली बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4.	<u>ट्रेड समूह X तथा Y में सापेक्षता</u> आयोग अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के लिए X समूह में 1400/-रु0 का X समूह वेतन की सिफारिश करता है। कोई Y समूह वेतन नहीं किया जा रहा है क्योंकि X समूह वेतन अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के X समूह को Y समूह पर मौजूदा बढ़त को बनाए रखने के लिए अदा किया जा रहा है (पैरा सं. 2.3.27) ।	स्वीकृत
5.	<u>अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के लिए वेतनमानों की सिफारिशें</u> अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के वेतनमानों के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :- i) पूर्व ट्रेड समूह y और z को विलयित करने के साथ ही अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के लिए केवल दो समूह ही बनाए जा रहे हैं। ii) दोनों ट्रेड समूहों में समान रैंकों के लिए वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन समान होगा। X ट्रेड समूह के कार्मिकों को अलग से X ट्रेड वेतन मिलेगा। iii) अफसर रैंकों से नीचे के कार्मिकों में X और Y समूहों के लिए संशोधित वेतन बैंड, ग्रेड वेतन, सैन्य सेवा वेतन तथा X समूह वेतन इस प्रकार होंगे । सेना पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान) / सिफारिश किया गया वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / सैन्य सेवा वेतन # / X समूह वेतन* सिपाही / 4860-20200 / 2000 / 1000 / 1400 नायक / 4860-20200 / 2400 / 1000 / 1400 हवलदार / 4860-20200 / 2800 / 1000 / 1400 नायब सूबेदार / 8700-34800 / 4200 / 1000 / 1400 सूबेदार / 8700-34800 / 4600 / 1000 / 1400 सूबेदार मेजर / 8700-34800 / 4800 / 1000 / 1400	नीचे दी गई सारणी में दिए गए संशोधनों के साथ स्वीकृत :- सेना पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान) / सिफारिश किया गया वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / सैन्य सेवा वेतन # / X समूह वेतन* सिपाही / 5200-20200 / 2000 / 2000 / 1400 नायक / 5200-20200 / 2400 / 2000 / 1400 हवलदार / 5200-20200 / 2800 / 2000 / 1400 नायब सूबेदार / 9300-34800 / 4200 / 2000 / 1400 सूबेदार / 9300-34800 / 4600 / 2000 / 1400 सूबेदार मेजर / 9300-34800 / 4800 / 2000 / 1400

* समूह वेतन केवल X समूह में अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों को ही देय होगा

वायुसेना

पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान)	सिफारिश किया गया वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन #	X समूह वेतन*
एसी/एलएसी	4860-20200	2000	1000	1400
कार्पोरल	4860-20200	2400	1000	1400
सार्जेंट	4860-20200	2800	1000	1400
जूनियर वारंट अफसर	8700-34800	4200	1000	1400
वारंट अफसर	8700-34800	4600	1000	1400
मास्टर वारंट अफसर	8700-34800	4800	1000	1400

सैन्य सेवा वेतन के लिए कोई बकाया राशि देय नहीं होगी
* X समूह वेतन केवल X समूह में अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों को ही देय होगा

नौसेना-X समूह

पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान)	सिफारिश किया गया वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन #	X समूह वेतन*
प्रशिक्षु	4860-20200	2000	1000	1400
आर्टिफिशर V	4860-20200	2400	1000	1400
आर्टिफिशर IV	4860-20200	2800	1000	1400
आर्टिफिशर-III-I**	8700-34800	3400	1000	1400
मुख्य आर्टिफिशर	8700-34800	4200	1000	1400
एमसीपीओ II	8700-34800	4600	1000	1400
एमसीपीओ I	8700-34800	4800	1000	1400

सैन्य सेवा वेतन के लिए कोई बकाया राशि देय नहीं होगी
* समूह वेतन केवल X समूह में अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों को ही देय होगा
** सिविल में मध्यवर्ती वेतनमान उपलब्ध नहीं है।

* समूह वेतन केवल X समूह में अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों को ही देय होगा

वायुसेना

पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान)	सिफारिश किया गया वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन #	X समूह वेतन*
एसी/एलएसी	5200-20200	2000	2000	1400
कार्पोरल	5200-20200	2400	2000	1400
सार्जेंट	5200-20200	2800	2000	1400
जूनियर वारंट अफसर	9300-34800	4200	2000	1400
वारंट अफसर	9300-34800	4600	2000	1400
मास्टर वारंट अफसर	9300-34800	4800	2000	1400

सैन्य सेवा वेतन के लिए कोई बकाया राशि देय नहीं होगी
* X समूह वेतन केवल X समूह में अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों को ही देय होगा

नौसेना-X समूह

पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान)	सिफारिश किया गया वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	सैन्य सेवा वेतन #	X समूह वेतन*
प्रशिक्षु	5200-20200	2000	2000	1400
आर्टिफिशर V	5200-20200	2400	2000	1400
आर्टिफिशर IV	5200-20200	2800	2000	1400
आर्टिफिशर-III-I**	9300-34800	3400	2000	1400
मुख्य आर्टिफिशर	9300-34800	4200	2000	1400
एमसीपीओ II	9300-34800	4600	2000	1400
एमसीपीओ I	9300-34800	4800	2000	1400

सैन्य सेवा वेतन के लिए कोई बकाया राशि देय नहीं होगी
* समूह वेतन केवल X समूह में अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों को ही देय होगा
** सिविल में मध्यवर्ती वेतनमान उपलब्ध नहीं है।

	नेवी-Y समूह पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान) / सिफारिश किया गया वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / सैन्य सेवा वेतन # नौसैनिक-II/नौसैनिक-I / 4860-20200 / 2000 / 1000 लीडिंग नौसैनिक / 4860-20200 / 2400 / 1000 पेटी अफसर / 4860-20200 / 2800 / 1000 चीफ पेटी अफसर / 8700-34800 / 4200 / 1000 एमसीपीओ-II / 8700-34800 / 4600 / 1000 एमसीपीओ-I / 8700-34800 / 4800 / 1000 # सैन्य सेवा वेतन के लिए कोई बकाया राशि देय नहीं होगी (पैरा सं. 2.3.28) ।	नेवी-Y समूह पीबीओआर एस (मौजूदा वेतनमान) / सिफारिश किया गया वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / सैन्य सेवा वेतन # नौसैनिक-II/नौसैनिक-I / 5200-20200 / 2000 / 2000 लीडिंग नौसैनिक / 5200-20200 / 2400 / 2000 पेटी अफसर / 5200-20200 / 2800 / 2000 चीफ पेटी अफसर / 9300-34800 / 4200 / 2000 एमसीपीओ-II / 9300-34800 / 4600 / 2000 एमसीपीओ-I / 9300-34800 / 4800 / 2000 # सैन्य सेवा वेतन के लिए कोई बकाया राशि देय नहीं होगी (पैरा सं. 2.3.28) ।
6.	<u>प्रशिक्षण के दौरान रंगरूटों का वेतन</u> आयोग सिफारिश करता है कि प्रशिक्षण के दौरान रंगरूटों के वेतन के संबंध में मौजूदा स्थिति को जारी रखा जाए (पैरा 2.3.29)	स्वीकृत
7.	<u>डी एस सी कार्मिकों का वेतन ढांचा</u> इन समूहों के लिए सिफारिश किए गए संगत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन उनके मामले में भी लागू होंगे । अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के मामले में समूह Z का पद समूह y के रूप में उन्नयित माना जाएगा (पैरा 2.3.31)	स्वीकृत
8.	<u>भर्ती किए गए गैर-योधी कार्मिक</u> आयोग सिफारिश करता है कि वायुसेना में भर्ती किए गए सभी गैर-योधी कार्मिकों को बनाए रखा जाएगा और उन्हें 1800 रु0 के ग्रेड वेतन सहित 4860-20200 रु0 के वेतन बैंड-1 में रखा जाएगा । भविष्य में सभी गैर-योधी कार्मिकों की भर्ती सिविलियनों के मामले में निर्धारित सदृश उच्चतर योग्यताओं के साथ इस ग्रेड में की जाएगी (पैरा 2.3.32)	इस संशोधन के अध्यधीन कि वेतन बैंड की न्यूनतम राशि को 4860/-रुपए से बढ़ाकर 5200/-रुपए कर दिया जाए ।

9.	<u>पदोन्नति पर न्यूनतम लाभ</u> रनिंग वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन की संशोधित योजना में, पदोन्नति के समय न्यूनतम लाभ का निर्धारण करना अर्थहीन है क्योंकि प्रत्येक पदोन्नति में ग्रेड वेतन में वृद्धि के साथ-साथ एक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। रनिंग वेतन बैंडों की संशोधित योजना में, सिविलियनों के मामले के समान ही पदोन्नति के समय कोई न्यूनतम लाभ निर्धारित नहीं किया जा रहा है । तदनुसार, सुरक्षा बलों के मामले में इस तरह की न्यूनतम वृद्धि निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता (पैरा 2.3.33)	स्वीकृत
10.	<u>अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के लिए आश्वस्त कैरियर उन्नति योजना</u> इसलिए आयोग यह सिफारिश करता है कि अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के मामले में समयबद्ध पदोन्नति योजना में इस समय 10 और 20 वर्षों की सेवा पूरी करने पर दो वित्तीय उन्नयन दिए जाएंगे । इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयनों में उच्चतर ग्रेड वेतन सहित एक वेतनवृद्धि के बराबर वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा। अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों की पदोन्नति की शेष अवधि के बारे में अन्य सुझावों के संबंध में, रक्षा मंत्रालय रनिंग वेतन बैंडों की संशोधित योजना लागू कर दिए जाने के बाद इस मामले पर विचार करने के लिए एक अंतर-सेवा समिति गठित कर सकती है (पैरा 2.3.34)	8,16 और 24 वर्षों की सेवा के पश्चात तीन आश्वस्त कैरियर उन्नति उन्नयन अनुमोदित किए गए हैं। ये उन्नयन ग्रेड वेतनमानों के पदानुक्रम में होंगे जो जरूरी नहीं है कि वह उस संवर्ग विशेष के पदानुक्रम में हो।

रक्षा सेना कार्मिकों के भत्ते, रियायतें एवं लाभ तथा सेवा शर्तें

क्रम सं.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार के निर्णय
1.	<u>सिविलियनों और रक्षा सेना कार्मिकों के लिए समान भत्ते</u> जहां तक सिविलियन तथा रक्षा सेना कार्मिकों के लिए समान भत्तों का संबंध है, आयोग द्वारा अध्याय 4.1 और 4.2 में महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, परिवहन भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, सवारी भत्ता, प्रैक्टिस-बंदी भत्ते के बारे में की गई सिफारिशें रक्षा सेना कार्मिकों पर भी पूरी तरह लागू होंगी । (पैरा 4.10.5) उपर्युक्त भत्तों के अतिरिक्त रक्षा सेना कार्मिकों को निम्नलिखित प्रतिपूरक भत्ते सिविल कर्मचारियों पर लागू निबंधन और शर्तों पर अनुमत्य होंगे । तथापि, यदि ऐसे क्षेत्रों में फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य होंगी तो रक्षा सेना कार्मिकों के पास दोनों में से उच्चतर भत्ता लेने का विकल्प होगा । विशेष प्रतिपूर्ति (पर्वतीय क्षेत्र) भत्ता विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता द्वीपसमूह विशेष ड्यूटी भत्ता परियोजना भत्ता दुर्गम क्षेत्र भत्ता विशेष प्रतिपूर्ति (खराब मौसम) भत्ता (पैरा 4.10.6) संगत अध्याय में सिविलियन कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त भत्तों के संबंध में सिफारिश की गई संशोधित दरें रक्षा सेना कार्मिकों के मामले में भी लागू होंगी । रक्षा सेनाओं द्वारा यह बात सामने लायी गई है कि कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां पर केंद्रीय सरकार की कोई संस्थापनाएं नहीं हैं, ये भत्ते नहीं दिए जाते हैं । यह सुझाव दिया गया है कि क्षेत्रों को दूर-दराज का क्षेत्र घोषित करने वाला मंत्रालय ऐसी अवस्थितियों पर भी विचार करे, ताकि वहां पर यथा-लागू प्रतिपूर्ति भत्ते दिए जाने की पात्रता प्रदान की जा सके । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में विपदा और आपदाओं के दौरान रक्षा बलों को राहत और बचाव कार्य करने पड़ते हैं, स्वतः ही दुर्गम क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और दुर्गम क्षेत्र भत्ता मंजूर किया	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि क-1/क श्रेणी के नगरों तथा अन्य कस्बों में रहने वाले निम्नतर स्तरों के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग ने जो 400 रुपए और 300 रुपए का परिवहन भत्ता अनुशंसित किया था, उसे बढ़ाकर क्रमशः 600 रुपए और 400 रुपए किया जाता है ।

<table>
<tr><td></td><td>जाना चाहिए । (पैरा 4.10.7)

आयोग प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को दुर्गम क्षेत्र घोषित करने की मांग स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि उससे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ।

आयोग यह भी सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे कि वे ऐसे क्षेत्रों की कठिनाइयों पर भी विचार करें जहां केवल रक्षा बल संस्थापनाएं स्थापित हैं और देखें कि क्या वे क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किए जाने के लिए पात्र हैं । (पैरा संख्या 4.10.8)</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td><u>प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता</u>

इसलिए रक्षा सेना कार्मिकों को यह विकल्प दिया जाए कि या तो वे (क) सेवा रियायतों सहित 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करें या (ख) सेवा रियायतों को छोड़ दें और 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता ले लें । तथापि, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और असम राइफल्स में तैनात अफसरों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि सेना अधिकारियों के लिए वे तैनातियां नियमित तैनातियों से अलग नहीं हैं । जहां तक पदों पर रैंक की बजाय समकक्ष वेतन पर प्रतिनियुक्ति की मांग का प्रश्न है, यह समस्या आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतन ढांचे में स्वतः ही हल हो जाएगी क्योंकि सिविलियनों और रक्षा कार्मिकों के समकक्ष रैंकों के लिए समान ग्रेड वेतन की सिफारिश की गई है जिसके आधार पर भविष्य में सिविल संगठनों में प्रतिनियुक्तियों को शासित किया जाएगा । (पैरा 4.10.10)</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td><u>मकान के बदले प्रतिपूर्ति</u>

आयोग मकान के बदले प्रतिपूर्ति को निम्नलिखित दरों की सिफारिश करता है जो हर समय संशोधित वेतन बैंडों पर महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत से ऊपर चले जाने पर 25 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी :-

<table>
<tr><td>पद</td><td colspan="3">नगर वर्गीकरण</td></tr>
<tr><td></td><td>एक्स</td><td>वाई</td><td>जैड</td></tr>
<tr><td>सिपाही/नायक</td><td>3600</td><td>2400</td><td>1600</td></tr>
<tr><td>हवलदार</td><td>4200</td><td>2800</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर</td><td>5400</td><td>3600</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>अयोधी (नामांकित)</td><td>1800</td><td>1200</td><td>800</td></tr>
</table></td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
</table>

	इसके अतिरिक्त किसी भी असंगतियों को दूर करने के लिए आगे यह सिफारिश की जाती है कि अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिक के मकान के बदले प्रतिपूर्ति अथवा मकान किराया भत्ता, जो भी अधिक लाभकारी होगा, लेने का विकल्प होगा । केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों के लिए सिफारिश की छूट के अनुरूप प्राधिकृत विवाहितों के लिए आवास के अंतर्गत नहीं आने वाले के लिए सरकार ने सिविलियन कर्मचारियों को देय न्यूनतम मकान किराए भत्ते के बराबर परिवार आवास भत्ता शुरु किया गया है ताकि इन कार्मिकों को उनके परिवारों के रिहायश के लिए कुछ प्रतिपूर्ति की जा सके । मूल्य सूचकांक में हर समय 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर इस भत्ते की दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । (पैरा संख्या 4.10.14)	
4.	<u>मकान किराया भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि रक्षा अधिकारियों को मौजूदा शर्तों पर सिविलियनों को देय दरों पर ही मकान किराया मंजूर किया जाए । मकान किराया भत्ते की गणना के लिए, मौजूदा मूल वेतन जमा ग्रेड वेतन तथा सैन्य सेवा, वेतन को हिसाब में लिया जाए । रक्षा मंत्रालय बाजार की स्थिति के मद्दे नजर किराए की अधिकतम सीमाएं संशोधित करने हेतु कार्रवाई कर सकता है । (पैरा 4.10.15)	स्वीकृत ।
5.	<u>भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता</u> मौजूदा स्थिति समुचित प्रतीत होती है तथा आयोग का यह मत है कि इसमें आगे किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 4.10.16)	स्वीकृत ।
6.	<u>लापता/अशक्त/युद्ध में मारे गए कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें</u> आयोग निम्नलिखित संशोधित दरों की सिफारिश करता है :- (पैरा 4.10.18)	स्वीकृत ।

शिक्षण शुल्क	पूर्ण प्रतिपूर्ति
हास्टल प्रभार	पूर्ण प्रतिपूर्ति
पुस्तकों/लेखन सामग्री की कीमत	1000 रुपए प्रतिवर्ष
वर्दी की कीमत	1700 रुपए (पहले वर्ष) 700 रुपए प्रति वर्ष (बाद के वर्ष)
वस्त्र	500 रुपए (प्रतिवर्ष) 300 रुपए प्रतिवर्ष (बाद के वर्ष)

<table>
<tr>
<td>7.</td>
<td>
<u>संस्थागत भत्ते</u>

इस तथ्य के मद्देनजर कि अनुदेशक के रूप में तैनातियां सामान्यतः प्रतिष्ठापूर्ण शांतिकालीन तैनातियां होती हैं, तथा भत्तों में भारी वृद्धि से फील्ड क्षेत्रों में मिलने वाले भत्तों से तुलना में सापेक्षता प्रभावित होती है । अयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते की दर दुगनी कर दी जाए । (पैरा 4.10.20)

<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>श्रेणी</td><td>मौजूदा दर</td><td>अनुशंसित दर</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>जेसीओ और समतुल्य</td><td>500/-रुपए प्रतिमाह</td><td>1000/-रुपए प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>गैर कमीशनप्राप्त अफसर और समतुल्य</td><td>300/-रुपए प्रतिमाह</td><td>600/-रुपए प्रतिमाह</td></tr>
</table>
</td>
<td>स्वीकृत ।</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>
<u>भाषा पुरस्कार/भत्ते</u>

यह देखते हुए कि ड्यूटियां कष्टसाध्य किस्म की होती हैं तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि यह भत्ता प्राप्तकर्ता के प्रतिवर्ष प्रवीणता परीक्षा पास करने के अध्यधीन है, इस मामले में वृद्धि की उच्च दर औचित्यपूर्ण मानी गई है । तदनुरूप, इन पुरस्कारों और भत्तों में तीन गुना वृद्धि की जाए । (पैरा 4.10.20)
</td>
<td>स्वीकृत ।</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>
<u>उड़ान भत्ता, पनडुब्बी भत्ता तथा सियाचिन भत्ता</u>

अन्य भत्तों के अनुसार ही इन भत्तों की दर दुगना करने की सिफारिश की जाती है । यह 'मारकोस' तथा वैरियट भत्ते में लागू होगा जो पनडुब्बी कमांडो को पनडुब्बी भत्ते के बराबर की दरों पर दिया जाता है । जहां तक रक्षा सेनाओं द्वारा की गई अन्य मांगों का प्रश्न है, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है :-

(क) चीफ पैटी अफसर को वायुसेना के जूनियर वारंट अफसर की समान दरों पर ही उड़ान भत्ता दिया जाए ।

(ख) सेना विमानन पायलटों को नौसेना तथा भारतीय वायुसेना की पात्रता के विस्तार से यह उन्हें उनके विमानन संवर्ग में बने रहने तक उड़ान भत्ता मंजूर किए जाने के लिए पात्र बनाया जाए ।

(ग) जहां तक जोखिम संबंधी भत्तों को आयकर से छूट दिए जाने का प्रश्न है, आयोग का यह मत है
</td>
<td>स्वीकृत ।</td>
</tr>
</table>

	कि सरकार सभी संगत पहलुओं पर विचार करके इस संबंध में विचार कर सकती है । (पैरा संख्या 4.10.26)	
10.	<u>परीक्षण पायलट भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि परीक्षण पायलट भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए और इसे एरोबैटिक दरों के वायुकर्मियों को भी दिया जाना चाहिए । (पैरा 4.10.27)	स्वीकृत ।
11.	<u>पनडुब्बी कच्छटी भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि मौजूदा दरों को बढ़ाकर इन्हें अधिकारियों के लिए 90 रुपए प्रतिदिन तथा अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.28)	स्वीकृत ।
12.	<u>गोताखोरी भत्ता, डिप मनी तथा परिचर भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि गोताखोरी भत्ते तथा डिप मनी की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । सेना और वायुसेना कर्मियों के मामले में गोताखोरी की आवश्यकता यदा-कदा हो सकती है और उन्हें गोताखोरी के सीमित अवसरों के लिए निरंतर प्रतिपूर्ति की जानी अनुचित होगी । तथापि, उन्हें जब भी गोताखोरी की आवश्यकता हो, डिप मनी और गोताखोरी भत्ता आनुपातिक आधार पर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.29)	स्वीकृत ।
13.	<u>विशेष बल भत्ता</u> सेना और वायुसेना के विशेष बलों को सिपाही, नायक और समकक्ष को 1000 रुपए प्रतिमाह तथा ले.कर्नल और उनसे ऊपर के अधिकारियों को 2600 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से एक भत्ता दिया जाता है । रक्षा बलों ने मांग की है कि उन्हें यह भत्ता मारकोस तथा पैरिटियर्स, जोकि नौसेना के विशेष बल हैं, तथा जिन्हें पनडुब्बी भत्ते की समान दरों पर मारकोस भत्ता दिया जाता है, को स्वीकार्य दरों पर दिया जाए । उन्होंने यह मांग इस आधार पर की है कि सेना और वायुसेना के विशेष बल भी चयन और प्रशिक्षण की दृष्टि से तुलनीय मानकों वाले विशिष्ट बल हैं । आयोग ने यह देखा है कि इस समय विशेष बल भत्ता, फील्ड क्षेत्र भत्ता तथा शांति क्षेत्र में प्रतिविद्रोहिता भत्ता एक-समान हैं । विशेष बल भत्ते में अधिक वृद्धि प्रदान करके इस एकरूपता में फेर-बदल करने से इन भत्तों में इस तरह की वृद्धि करने की और मांगे उठेंगी । इसलिये आयोग यह सिफारिश करता है कि विशेष बल भत्ते की दरें दुगनी कर दी जाएं । (पैरा संख्या 4.10.30)	सेना और वायुसेना कमांडों को विशेष बल भत्ता उसी दर पर दिया जाएगा, जिस दर पर नौसेना के समुद्री कमांडो (मारकोस) को दिया जाता है ।

2275/10

14.	<u>पैरा जम्प अनुदेशक भत्ता तथा फ्री-फाल जम्प कूद अनुदेशक भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि यह भत्ता मंजूर किए जाने की मौजूदा शर्तों में कोई परिवर्तन किए बिना इसकी मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.31)	स्वीकृत ।
15.	<u>पैरा भत्ता तथा पैरा-रिजर्व भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि इन भत्तों की दरें दुगनी कर दी जाएं किंतु आयोग को इन भत्तों को नौसेना और वायुसेना कार्मिकों को दिए जाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता क्योंकि वे समान रूप से नियोजित नहीं हैं । (पैरा संख्या 4.10.33)	स्वीकृत ।
16.	<u>अति क्रियाशील फील्ड क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिविद्रोहिता संक्रिया भत्ता</u> आयोग ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि इन भत्तों के मौजूदा श्रेणीकरण से शांति क्षेत्रों में प्रतिविद्रोहिता संक्रियात्मक भत्ते और फील्ड क्षेत्र भत्ते की दरों में एक संतुलन स्थापित हुआ है । यह संतुलन काफी युक्तिसंगत तथा सुविचारित प्रतीत होता है । इन परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग इस श्रेणीकरण में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं करता है । तथापि, फील्ड क्षेत्र भत्ते और प्रतिविद्रोहिता भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । जहां तक नौसेना कार्मिकों को प्रतिविद्रोहिता भत्ता दिए जाने का संबंध है, सरकार के विशिष्ट आदेशों के आधार पर यह भत्ता मंजूर किए जाने का सुझाव स्वीकार कर लिया जाए, किंतु इसकी पात्रता की शर्तें समुद्र में जाने/समुद्री ड्यूटी भत्ते की मंजूरी के समान ही हों । (पैरा संख्या 4.10.36)	स्वीकृत ।
17.	<u>उच्च तुंगता भत्ता</u> भत्तों के बारे में अपने सामान्य दृष्टिकोण के मद्देनजर आयोग उच्च तुंगता भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना करने की सिफारिश करता है । जहां तक कुछ क्षेत्रों में उच्च तुंगता भत्ते को सियाचिन भत्ते की दरों के 80 प्रतिशत तक कर दिए जाने की मांग का संबंध है, आयोग ने यह पाया है कि सरकार ने यह भत्ता पहले ही जुलाई, 2007 से मंजूर कर दिया है । इस भत्ते के लिए सिफारिश की गई दरों को ध्यान में रखते हुए आयोग यह सिफारिश करता है कि भविष्य में इन क्षेत्रों में संशोधित सियाचिन भत्ते के 80 प्रतिशत की मंजूरी दी जाए । (पैरा संख्या 4.10.39)	स्वीकृत ।

18.	<u>समुद्र में जाने /समुद्री ड्यूटी भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि फील्ड क्षेत्र भत्ते के साथ सापेक्षता को बनाए रखते हुए समुद्र में जाने/समुद्री ड्यूटी भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । आयोग ने यह भी नोट किया है कि समुद्र में जाने/समुद्री ड्यूटी भत्ते का मूल परिवार से अलगाव है । इस तरह आयोग का यह मत है कि प्रतिदिन 12 घंटे की शर्त समुचित है तथा इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है । (पैरा 4.10.40)	स्वीकृत ।
19.	<u>हार्डलाइंग मनी</u> आयोग अपने सामान्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश करता है कि मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.42)	स्वीकृत ।
20.	<u>वैमानिकी भत्ता</u> ये तकनीकीविद् विमान तथा संबद्ध प्रणालियों के रख-रखाव अथवा सर्विस करने के लिए अधिकृत होते हैं । आयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते की दर दुगनी कर दी जाए । (पैरा संख्या 4.10.45)	स्वीकृत ।
21.	<u>उड़ान चार्ज प्रमाण-पत्र भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते की दरें दुगनी कर दी जाएं और यह विसंगति दूर कर दी जाए बशर्ते तकनीकी अफसरों की अनुपस्थिति में यह प्रमाणन वायुसेना में जूनियर वारंट अफसर तथा सेना में संगत रैंकों से ऊपर के रैंकों के सामान्य ड्यूटी चार्टर का एक हिस्सा न हो । इसके अलावा, रक्षा बलों द्वारा यथा प्रस्तावित वायु आर्टिफिशर और समकक्ष रैंक से नीचे के रैंक के अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों को भी भत्ता दिया जाए बशर्ते उन्हें मशीनरी/उपस्कर का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और वे यह ड्यूटी करते हैं अर्थात् इस भत्ते की मंजूरी की मौजूदा पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है । (पैरा संख्या 4.10.46)	स्वीकृत ।
22.	<u>उड़ान योग्य प्रमाण-पत्र</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.47)	स्वीकृत ।

23.	वायु स्टीवर्ड भत्ता आयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते को अन्य किसी नई श्रेणी को दिए बिना इसको दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.48)	स्वीकृत ।
24.	वायु डिस्पैच वेतन आयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते को दुगना कर दिया जाए तथा इसका नाम बदलकर वायु डिस्पैच भत्ता कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.49)	स्वीकृत ।
25.	योग्यता भत्ता आयोग इस भत्ते की दरों को दुगना करने की सिफारिश करता है । (पैरा संख्या 4.10.52)	स्वीकृत ।
26.	शार्टहैंड भत्ता आयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते की दर को दुगना कर दिया जाए । तथापि, शार्टहैंड ड्यूटियों पर कार्मिक सामान्यतः पुनर्रोजगार के आधार पर लगाए जाते हैं । इसलिए सेना के अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए इसके विस्तार की सिफारिश नहीं की जाती है । (पैरा संख्या 4.10.53)	स्वीकृत ।
27.	वर्दी संबंधी भत्ता आयोग यह सिफारिश करता है कि इन भत्तों की मौजूदा दरों को भी दुगना कर दिया जाए और प्रत्येक बार महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के ऊपर चले जाने पर इसे 25 प्रतिशत बढ़ाया जाए । (पैरा संख्या 4.10.60)	स्वीकृत ।
28.	संयुक्त वैयक्तिक रख-रखाव भत्ता (अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिक) आयोग सी पी एम एफ पर लागू सहित सिविलियनों के लिए ऐसे भत्तों को बढ़ाए जाने को ध्यान में रखते हुए इस भत्ते की दरें दुगना करने की सिफारिश करता है । (पैरा संख्या 4.10.63)	स्वीकृत ।
29.	चश्मा भत्ता	

<table>
<tr><td></td><td>1996-97 से मूल्यों में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्रतिपूर्ति की निम्नलिखित दरों की सिफारिश की जाती है :-
<table><tr><td>श्रेणी</td><td>दर</td></tr><tr><td>सामान्य शीशों सहित चश्मे</td><td>130 रुपए</td></tr><tr><td>द्वि-फोकल शीशों वाले चश्मे</td><td>250 रुपए</td></tr></table>
तथापि, कान्टेक्ट लेंसों की खरीद के लिए किसी नए भत्ते की सिफारिश नहीं की जाती है ।
(पैरा संख्या 4.10.64 और पैरा संख्या 4.10.65)</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>30.</td><td><u>एक्टिंग भत्ता</u>

आयोग यह सिफारिश करता है कि इस भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.66 और 4.10.67)</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>31.</td><td><u>अंत्येष्टि भत्ता</u>

तथापि, आयोग यह सिफारिश करता है अंत्येष्टि भत्ते की दर को बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.68)</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>32.</td><td><u>उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार</u>

आयोग यह सिफारिश करता है कि रक्षा सेनाओं के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कारों को अंततः कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) में समाविष्ट कर दिया जाए । इस बीच वार्षिक दर को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.71)</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>33.</td><td><u>पनडुब्बी तकनीकी भत्ता</u>

अन्य भत्तों के लिए की गई सिफारिशों की तर्ज पर इस भत्ते को मंजूर किए जाने की शर्तों में कोई फेर-बदल किए बिना इसकी दर दुगनी करके 200 रुपए प्रतिमाह कर दी जाए । (पैरा संख्या 4.10.70 और 4.10.72)</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
</table>

34.	<u>जलराशिक सर्वेक्षण भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.73)	स्वीकृत ।
35.	<u>यूनिट चार्ज तथा चार्ज प्रमाण-पत्र भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि यूनिट तथा चार्ज प्रमाण-पत्र भत्ते को अन्य किसी नई श्रेणी को न देते हुए इसकी दरें दुगनी कर दी जाएं । (पैरा संख्या 4.10.75)	स्वीकृत ।
36.	<u>बॉयलर निगरानी भत्ता</u> आयोग को इस प्रस्ताव में औचित्य नजर आया और बॉयलर के नजदीक काम करने की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए आयोग 2000 रुपए प्रतिमाह की दर पर बॉयलर निगरानी भत्ता शुरु करने तथा यह कार्य करने वाले नौसैनिकों को यह भत्ता दिए जाने की सिफारिश करता है । तटरक्षक और सर्वेक्षण पोतों पर काम करने वाले ऐसे संगत कार्मिकों को भी यह भत्ता इसी दर पर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.77)	स्वीकृत ।
37.	<u>बिजली के लिए स्वतंत्र उच्चतम सीमा</u> मौजूदा प्रावधान पर्याप्त है । आयोग मौजूदा स्थिति में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं करता है । (पैरा संख्या 4.10.78)	स्वीकृत ।
38.	<u>अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि अतिरिक्त ड्यूटी की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए तथा इस भत्ते को भविष्य में कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन योजना में शामिल कर दिया जाए । इस बात को देखते हुए इस भत्ते को और नई श्रेणियों को दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है । (पैरा संख्या 4.10.79)	स्वीकृत ।

39.	<u>वर्गीकरण भत्ता</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि वर्गीकरण भत्ते की मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए तथा इस भत्ते को सेना में विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप नौसेना तथा वायुसेना के अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों को, यह भत्ता मंजूर किए जाने के लिए विशिष्ट ट्रेड योग्यताएं निर्धारित करते हुए, प्रदान किया जाए । आगे यह भी सिफारिश की जाती है कि 100 प्रतिशत वर्गीकरण भत्ते की गणना पेंशन देने के लिए भी की जाए । (पैरा संख्या 4.10.82)	स्वीकृत ।
40.	<u>अच्छी सेवा/ अच्छा आचरण/बैज वेतन</u> आयोग ने रक्षा सेनाओं के लिए कार्य-निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना शुरु किए जाने की अलग-से सिफारिश की है । इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इसे रक्षा सेना कार्मिकों के लिए तैयार की जाने वाली कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित कर दिया जाए । तथापि, जब तक यह विस्तृत योजना तैयार की जाती है, मौजूदा दरों को दुगना कर दिया जाए तथा यह भत्ता मंजूर किए जाने की शर्तों में कोई परिवर्तन किए बिना यह भत्ता दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.85)	स्वीकृत ।
41.	<u>यात्रा संबंधी पात्रताएं</u> निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :- (i) दिवंगत रक्षा सेना कार्मिकों के आश्रितों के लिए परंपरागत सामाजिक रीति-रिवाजों को सम्पन्न करने के लिए आने-जाने की यात्रा करने हेतु हवाई यात्रा सहित यात्रा के तीव्र साधनों से यात्रा करना प्राधिकृत किया जाएगा । (ii) अस्पताल में भर्ती के लिए यात्रा की प्राधिकृत श्रेणी वही होगी जो सरकारी दौरों के लिए अधिकृत है । (iii) सैन्य अस्पताल में सेवारत कार्मिक को मिलने के लिए सरकारी खर्च पर युद्ध हताहतों के दो संबंधियों को वाहन की स्वीकृति इस समय केवल ले.कर्नल और समकक्ष अधिकारी तक ही सीमित रखी गई है । इस नियम के प्रावधान सभी रैंक के रक्षा कार्मिकों को दिए जाने चाहिए । (पैरा सं. 4.10.86)	स्वीकृत ।

42.	<u>हार्डशिप भत्ता, एलेसर्स भत्ता, यूएवी कमीशन भत्ता</u> इन भत्तों के बारे में दिए गए औचित्य की जांच के बाद आयोग को इन्हें शुरु करने का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं दिखाई दिया । (पैरा संख्या 4.10.87)	स्वीकृत ।
43.	<u>छुट्टी यात्रा रियायत</u> जहां बच्चे होस्टल में रह रहे हों, उन्हें एलटीसी पर माता-पिता से मिलने की स्वीकृति के अलावा इस प्रावधान में आयोग द्वारा किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जाती । जहां तक रेलवे वारंट/डी फार्म विकल्प का प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय इस व्यवस्था की प्रशासनिक सम्भाव्यता की जांच कर सकता है । आयोग फार्म डी की पात्रता में किसी बढ़ोत्तरी या परिवर्तन की सिफारिश नहीं करता । (पैरा सं. 4.10.90)	स्वीकृत ।
44.	<u>कार्यवाहक पदोन्नति</u> यह सिफारिश की जाती है कि कार्यवाहक रैंक के लिए भुगतान से पहले कुछ निर्धारित लगातार दिनों के लिए उच्चतर पद धारण करने की शर्त हटा दी जानी चाहिए । (पैरा संख्या 4.10.94)	स्वीकृत ।
45.	<u>छुट्टी की हकदारी</u> यह सिफारिश की जाती है कि रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए छुट्टी नकदीकरण की मात्रा को सेवा के वर्षों की संख्या से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और सभी रक्षा बलों के कार्मिकों को 300 दिनों तक की छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी । एलटीसी के दौरान छुट्टी के नकदीकरण और नकदीकरण की अधिकतम सीमा के संबंध में सिविलियन कर्मचारियों के मामले में दी गई छूट रक्षा बलों के कार्मिकों पर भी लागू होगी । फरलो (अनधिकृत छुट्टी) के लिए अर्द्ध-वेतन छुट्टी पर लागू जमा, परिवर्तन एवं नकदीकरण के प्रावधान की सुविधा देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अधिकारियों एवं अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों द्वारा नकदीकरण के लिए स्वीकृत छुट्टी के रूप में फर्क पड़ जाएगा । अतः आयोग अनधिकृत छुट्टी के नकदीकरण की सिफारिश नहीं करता । (पैरा 4.10.102)	स्वीकृत ।
46.	<u>भवन निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम</u> सिविलियन कर्मचारियों के लिए की गई इन सिफारिशों के अनुसरण में आयोग यह सिफारिश करता है कि	स्वीकृत ।

	रक्षा बल कार्मिकों को भी सिविलियन कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमा तक ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह ऋण लेने हेतु ब्याज दरों में सब्सिडी प्रदान की जाए । (पैरा संख्या 4.10.104)	
47.	<u>अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए सामान्य राशन की मात्रा</u> आयोग इस मामले में कोई सिफारिश नहीं कर सकता । सरकार यह निर्णय ले सकती है कि सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए कितना आवश्यक राशन दिया जाए । (पैरा संख्या 4.10.106)	स्वीकृत ।
48.	<u>प्रादेशिक सेना कार्मिकों की छुट्टी का नकदीकरण</u> आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रादेशिक सेना कार्मिकों और नियमित सेना कार्मिकों के बीच छुट्टी के नकदीकरण संबंधी प्रावधानों में समानता रखी जाए । (पैरा संख्या 4.10.107)	स्वीकृत ।
49.	<u>भत्तों का भविष्य में संशोधन</u> जहां तक भत्तों के भविष्य में संशोधन का प्रश्न है, सिविलियन और रक्षा बलों के सम्मिलित भत्तों के संबंध में अन्यत्र विनिर्दिष्ट रूप में संशोधन किए जाएं । केवल रक्षा बलों के लिए विनिर्दिष्ट भत्तों के मामले में इन भत्तों की दरें प्रत्येक बार स्वतः ही 25 प्रतिशत बढ़ा दी जाएं जब संशोधित वेतन बैंड पर देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाता है । (पैरा संख्या 4.10.108)	स्वीकृत ।
50.	<u>भत्तों पर सामान्य सिफारिश</u> अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पीआरआईएस का हिस्सा बनने वाले भत्तों को शामिल करते हुए एक पीआरआई स्कीम तैयार कर सकते हैं । (पैरा संख्या 4.10.109)	स्वीकृत ।

अनुबंध- II

अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के मौजूदा वेतनमान

(रुपए में)

सेना

मौजूदा वेतमान			
रैंक	समूह X	समूह Y	समूह Z
सिपाही	3600-70-4650	3250-70-4300	3050-55-3875
नायक	3700-85-4975	3425-85-4700	3150-70-4200
हवलदार	4150-100-5650	3600-100-5100	3250-85-4525
नायब सूबेदार	5770-140-8290	5620-140-8140	5200-125-7450
सूबेदार	6750-190-9790	6600-170-9320	6170-155-8650
सूबेदार मेजर	7250-200-10050	6750-200-9550	6600-200-9400

वायुसेना

मौजूदा वेतमान			
रैंक	समूह X	समूह Y	समूह Z
एसी	3675	3250	3050
एलएसी	4025-60-4925	3650-60-4550	3080-60-3980
कार्पोरल	4150-70-5200	3900-70-4950	3200-70-4250
सार्जेंट	5000-100-6500	4320-85-5595	3775-85-5050
जूनियर वारंट अफसर	5770-140-8290	5620-140-8140	5200-125-7450
वारंट अफसर	6750-190-9790	6600-170-9320	6170-155-8650
मास्टर वारंट अफसर	7400-200-10200	6750-200-9550	6600-200-9400

नौसेना

मौजूदा वेतमान			
रैंक	समूह X	समूह Y	समूह Z
प्रशिक्षु/सीमैन-II	3200-60-3260	3325-60-3445	3050-55-3215
आर्टिफिशर V/सीमैन-I	4150-70-4360	3650-60-4550	3080-60-3980
आर्टिफिशर IV/लीडिंग सीमैन	4550-100-6350	3900-70-4950	3200-70-4250
आर्टिफिशर-III-I/पीओ	5120-100-7120	4320-85-5595	3775-85-5050
मुख्य आर्टिफिशर/सीपीओ	6000-125-8250	5620-140-8140	5200-125-7450
एमसीपीओ II	6750-190-9790	6600-170-9320	6170-155-8650
एमसीपीओ I	7400-200-10200	6750-200-9550	6600-200-9400